भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4926**

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: मूल्य न्यूनता भुगतान योजना**

**4926. श्री नवसकनी के.:**

**श्री जी. सेल्वम:**

**श्री सी. एन. अन्नादुरई:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भावान्तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक भुगतान प्राप्त करने वाले कुल किसानों की संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत किसानों को कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है तथा पात्र किसानों को भुगतान की प्रक्रिया और वितरण में औसतन कितनी समय लगा है;

(ग) पीडीपीएस के कार्यान्वयन में आई आम चुनौतियाँ क्या हैं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पीएम-आशा ने किसानों की आय को स्थिर करने और बढ़ाने में किस हद तक योगदान दिया है;

(ङ) राज्यों में पीएम-आशा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद हैं;

(च) योजना की प्रगति का आकलन करने के लिए मंत्रालय द्वारा समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है;

(छ) योजना की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख निष्पादन संकेतक क्या हैं; और

(ज) इन निगरानी गतिविधियों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) और (ख) : भावान्तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) में एमएसपी और अधिसूचित बाजार में बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच मूल्य अंतर का सीधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी मूल्य के 15% तक (2% प्रशासनिक लागत सहित) पूर्व-पंजीकृत किसानों को निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के लिए अपने उत्पादन का 40% तक तिलहन बेचने के लिए परिकल्पना है। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास विशेष वर्ष/सीजन के लिए विशेष तिलहनों के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) या पीडीपीएस को लागू करने का विकल्प है। यदि कोई राज्य 40% से अधिक मात्रा को कवर करने के लिए तैयार है, तो वे अपने संसाधनों से ऐसा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के एक घटक भावान्तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत इसकी शुरुआत से अब तक कुल 6,20,945 किसान लाभान्वित हुए हैं। यह योजना मध्य प्रदेश में खरीफ 2018-19 सीजन के दौरान सोयाबीन की फसल के लिए लागू की गई थी और किसानों को 5,719.50 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य प्रदान किया गया था।

(ग) से (ज): पीडीपीएस पीएम-आशा का एक घटक है, जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) भी एक घटक है। पीएसएस और पीडीपीएस के अपने घटक के साथ पीएम-आशा का लक्ष्य और उद्देश्य किसानों को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की उपज के लिए एमएसपी सुनिश्चित करना है, जब इन वस्तुओं का बाजार मूल्य चरम कटाई अवधि के दौरान एमएसपी से नीचे चला जाता है ताकि किसानों को मजबूरन बिक्री का सहारा न लेना पड़े। पीएसएस अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए लागू किया गया है। पीएम-आशा के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे राज्य के लिए विशेष अधिसूचित तिलहन फसल के संबंध में किसी दिए गए खरीद सीजन में पीएसएस या पीडीपीएस में से किसी एक को चुनने की पेशकश की जाती है। पिछले 20 वर्षों के दौरान एमएसपी पर अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की अपनी उपज बेचने से लाभान्वित होने वाले किसानों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पीडीपीएस में कोई भौतिक खरीद शामिल नहीं है, बल्कि पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित एफएक्यू मानदंडों की तिलहन फसलों को बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में किए जाएंगे। सुचारू और पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन/खरीद संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के माध्यम से किसानों को समय पर भुगतान और इस योजना के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग का प्रावधान है। पीएम-आशा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार के पास केंद्र और राज्य स्तर पर अपना तंत्र है।

खरीद कार्यों को मजबूत करने और पीएम-आशा योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कई उपाय किए गए हैं:

I. पीएम-आशा के प्रभावी क्रियान्वयन तथा किसानों को एमएसपी का अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) आदि जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा तथा भंडारण एवं परिवहन आदि जैसे अन्य लॉजिस्टिक्स/इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा मंडियों तथा डिपो/गोदामों के अतिरिक्त, किसानों की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।

II. नेफेड तथा एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को अधिकतम कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए सरकारी गारंटी को बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

III. किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए आधार आधारित पंजीकरण के माध्यम से नेफेड के ई-समृद्धि पोर्टल तथा एनसीसीएफ के ई-संयुक्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है।

IV. एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश किसानों को भेजे जाते हैं ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली खरीद के बारे में जानकारी दी जा सके।

V. एगमार्कनेट पोर्टल पर वस्तुओं की दैनिक खरीद दरें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि उन्हें अपनी उपज बेचते समय वर्तमान बाजार मूल्य के बारे में जानकारी मिल सके!

VI. किसानों के भूमि अभिलेख सीधे राज्य भूमि अभिलेखों से प्राप्त किए जाते हैं।

VII. पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन और तिलहन तथा खोपरा की खरीद को राज्य उत्पादन के मौजूदा 25% से बढ़ाकर राष्ट्रीय उत्पादन का 25% कर दिया गया है।

VIII. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीपीएस का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस योजना के तहत कुछ सुधारात्मक उपाय किए हैं। योजना की कार्यान्वयन अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। इसके अलावा, केंद्र सरकार का समर्थन उस विशेष विपणन मौसम/वर्ष के लिए राज्य उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

IX. एक दिन में एक किसान से उपज खरीदने की सीमा मौजूदा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दी गई है।

X. फसलों के लिए एमएसपी को सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है।

लो.स.अता.प्र.सं. 4926

अनुबंध

वर्ष 2004-05 से 2013-14 और 2014-15 से 2024-25 तक एमएसपी संचालन के तहत दलहन और तिलहन एवं खोपरा की खरीद का विवरण (20.03.2025 तक)

**<u>दलहन</u>**

| विवरण | 2004-05 to 2013-14 | 2014-15 to 2024-25 | 2004-05 से 2013-14 की तुलना में 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान प्रतिशत (%) वृद्धि |
|---|---|---|---|
| खरीदी गई मात्रा (एलएमटी में) | 6.29 | 174.42 | 2671% |
| एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में) | 1,936.33 | 94,265.31 | 4768% |
| एमएसपी मूल्य (करोड़ रुपये में) | - | 96,40,987 | - |

**<u>तिलहन एवं खोपरा</u>**

| विवरण | 2004-05 to 2013-14 | 2014-15 to 2024-25 | 2004-05 से 2013-14 की तुलना में 2014-15 से 2024-25 की अवधि के दौरान प्रतिशत (%) वृद्धि |
|---|---|---|---|
| खरीदी गई मात्रा (एलएमटी में) | 50.64 | 125.76 | 148% |
| एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में) | 10,261.72 | 65,967.48 | 543% |
| लाभ पाने वाले किसान * | - | 54,57,030 | - |

* लाभार्थियों का डेटा 2016-17 से एकत्र किया जा रहा है।

*****